तत्काल/महत्वपूर्ण

संख्या:-**55/2016/2396/33-3-2016-306/2014**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

प्रमुख सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-**3** लखनऊ:: दिनांक **26** सितम्बर, **2016**

विषय:- पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ उ0प्र0 द्वारा विकास खण्ड स्तर पर नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि पंचायत के सामान्य निर्वाचन, **2015** सम्पन्न हो जाने के बाद ग्राम पंचायतों में बडी संख्या में महिला पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ समाज के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो के व्यक्ति चुनकर आये है। इन नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों को उनके दायित्व व शक्तियों से परिचित कराने तथा सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराने के लिये नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु शासनादेश संख्या:- **1406/33-3-2016-306/2014** दिनॉक **09.06.2016** के अन्तर्गत स्वीकृत प्रशिक्षण मद की धनराशि से नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों की क्षमता विकास हेतु चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्न रूप से कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है:-

1. इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों की क्षमता विकास हेतु विकास खण्ड स्तर पर चार दिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. यह कार्यक्रम सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों की देख-रेख में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा विकास खण्ड पर आयोजित किया जायेगा।

3. विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने वाले चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण में प्रशिक्षण साहित्य में वर्णित समस्त विषयों को सम्मिलित करते हुये प्रशिक्षण का सत्रवार

http://shasanadesh.up.nic.in

ट्रेनिंग कलेन्डर जिलाधिकारी से अनुमोदित कराते हुये पंचायती राज निदेशालय को ई-मेल आईडी **pritup2016@gmail.com** पर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये।

4. चार दिवसीय प्रशिक्षण में आयोजित किये जाने वाले सत्रो में सभी विषयों नियामक कार्यो, विकास/योजनाओ की विस्तृत जानकारी दी जायेगी।

5. इस कार्यक्रम में जनपद के समस्त नव निर्वाचित ग्राम प्रधान प्रशिक्षाथ्र्ाी के रूप में आमंत्रित किये जायेंगे। साथ ही प्रशिक्षकों के तैयार पूल/रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित किया जायेगा। जनपद के माननीय सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख आदि को भी अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

6. जिन प्रशिक्षकों के तैयार पूल/रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण देने हेतु आमंत्रित किया जायेगा उन्हें पर्याप्त समय पूर्व उन्हें आवंटित विषय, तिथि व समय से अवगत कराया जायेगा ताकि वह प्रशिक्षण में पूर्ण तैयारी के साथ समय से उपस्थित हो सकें। उनकी प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का दायित्व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा।

7. जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निदेशालय स्तर से उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण मॉडयूल (प्रशिक्षण साहित्य), राइटिंग पैड, पेन आदि प्रशिक्षण सामग्री बैंग में रखकर प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। मॉडयूल में दिये गये विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा, तथापि आवश्यकतानुसार नये विषय भी सम्मिलित किये जा सकते है।

8. विकास खण्ड स्तर पर आयोजित चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनरों (सहा0वि0अधि0पं0/ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0/ए0एफ0सी0) से प्रशिक्षण कराया जायेगा साथ ही सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी), सहायक विकास अधिकारी (पं0), जिला समन्वयक (स्वच्छ भारत मिशन), जिला परियोजना प्रबन्धकों तथा जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित (अन्य विभागों) अधिकारियों/रिसोर्स पर्सनस/विशेषज्ञों को प्रतिभागियों के प्रशिक्षण हेतु नामित किया जा सकता है।

9. निदेशालय स्तर से जनपदों को दी गयी धनराशि जनपदों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के भोजन, रिसोर्स पर्सन/विशेषज्ञों के मानदेय, ग्रुप फोटो, अन्य विविध व्यय/प्रकीर्ण व्यय यात्रा, पी0ओ0एल0, टेन्ट, फर्नीचर, स्केच पेन, टेप, चार्ट, मार्कर, ओ0एच0पी0 ट्रान्सपरेन्सी पावर प्वांइन्ट, प्रोजेक्टर के लिये प्रशिक्षण मद में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि से ही व्यय किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतिम दिन **(**चतुर्थ दिवस**)** प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण**-**पत्र तथा निर्धारित दरों के अनुसार पॉकेट एलाउन्स भी वितरित किया जायेगा।

11. प्रशिक्षण मदवार स्वीकृत धनराशि **(**परिशष्ट**-1)** के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त व्यय करते हुये सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा व्यय विवरण निर्धारित रूप**-**पत्र पर निदेशालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

12. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा तथा विकास खण्ड स्तर पर तैनात सहायक विकास अधिकारी **(**पं**0)** को सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा विकास खण्ड का नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

13. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पर मदवार व्यय किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक न हो।

14. प्रशिक्षण कार्यक्रम के फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी की सी**0**डी**0** की प्रति निदेशालय को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही प्रशिक्षण के पश्चात प्रतिभागियों से परिशिष्ट**-2** पर संलग्न रूप**-**पत्र पर फीड बैक लिया जायेगा एवं यदि फीड बैक में कोई सुझाव दिये जाते है**,** तो उन पर विचार करते हुये आगामी प्रशिक्षणों में उनका समावेश किया जायेगा।

15. विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किये जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के **50** प्रतिशत विकास खण्डों की जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निरीक्षण तथा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदो के **25** प्रतिशत विकास खण्डो का निरीक्षण आख्या निदेशालय के मण्डलीय उपनिदेशक द्वारा करके भेजी जायेगी। अपने क्षेत्र में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय**-**समय पर उपजिलाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा। निदेशालय स्तर से भी उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

16. विकास खण्ड स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी सहायक विकास अधिकारी **(**पं**0)** द्वारा आयोजित किये जा रहें प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शत**-**प्रतिशत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

17. प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु शासनादेश संख्या**:-1406/33-3-2016-306/ 2014** दिनॉक **09.06.2016** द्वारा अनुमोदित धनराशि परिशिष्ट**-3** पर संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि का बैंकड्रॉफ्ट जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

18. उपर्युक्त रूप से उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ही जनपद में नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों का चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का सम्पादन माह सितम्बर**,** **2016** से अनिवार्य रूप से प्रारम्भ करा दिया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त के क्रम में शासन की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके कुशल एवं प्रभावी नियंत्रण में नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी उद्देश्यपूर्ण, सार्थक एवं सफल सिद्ध होगा, जिससे नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायतों को सौपें गये अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन में मार्गदर्शन मिल सकेगा। कृपया प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम के समयबद्ध सम्पादन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2. समस्त उपजिलाधिकारी उ0प्र0।
3. उपाध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) /निदेशक पंचायती राज उ0प्र0।
4. सचिव, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) /अपर निदेशक पंचायती राज उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
7. समस्त सम्बन्धित जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये सितम्बर, 2016 से प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

ग्राम प्रधानो के चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण हेतु **50** प्रतिभागियों के बैच का मदवार विवरण

मद	प्रति प्रतिभागी चार दिवस हेत कुल धनराशि	50 प्रतिभागियों की चार दिवस हेतु कुल धनराशि
पॉकेट एलाउन्स	400	20,000.00
बैनर, पोस्टर, स्टेशनरी, प्रोजेक्टर	400	20,000.00
फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी	400	20,000.00
चाय, नाश्ता, दोपहर भोजन	1000	50,000.00
ट्रेनर्स का मानदेय (कुल चार ट्रेनर्स)	160	8000.00
प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जनपद स्तर पर	20	1000.00
फर्नीचर, टेन्ट एवं अन्य विविध व्यय	293	14,650.00
कुल-	3,120	1,33,650.00

http://shasanadesh.up.nic.in

मूल्यांकन प्रपत्र **(फीडबैक)**

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में

1. प्रशिक्षण का

नाम.....

2. प्रशिक्षण की अवधि दिनांक..... से

दिनांक.....तक

3. प्रशिक्षण सामग्री/साहित्य अतिउत्तम ☐ उत्तम ☐ सामान्य ☐

4. प्रशिक्षण कक्ष की व्यवस्था अतिउत्तम ☐ उत्तम ☐ सामान्य ☐

5. प्रशिक्षण विधियॉ अतिउत्तम ☐ उत्तम ☐ सामान्य ☐

6. भोजन एवं आवास व्यवस्था अतिउत्तम ☐ उत्तम ☐ सामान्य ☐

7. वार्ताकार/प्रस्तुतीकरण अतिउत्तम ☐ उत्तम ☐ सामान्य ☐

8. इस प्रशिक्षण में यदि कोई विशेषता, जिसका उल्लेख करना

चाहे.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. प्रशिक्षण को अधिक उपयोगी बनाये जाने सम्बन्धी

सुझाव.....***(i)***.....

.....***(ii)***.....

.....

.....***(iii)***.....

http://shasanadesh.up.nic.in

.....

.....

10. प्रशिक्षण की तीन महत्वपूर्ण

बातें.....***(i)***.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.(ii).....

.....

.....

.....

.....

.....

.(iii).....

.....

.....

.....

नाम.....

पदनाम.....

जनपद.....

हस्ताक्षर.....

http://shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट-3

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता विकास हेतु चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जनपद व मण्डल को अवमुक्त धनराशि

क्रम संख्या	जनपद	जनपदों/मण्डल को आर0टी0 आर0 /बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अवमुक्त धनराशि रूपये में
1	**2**	**3**
1	आगरा	1870710.00
2	मथुरा	1469850.00
3	हाथरस	1202600.00
4	फिरोजाबाद	1469850.00
	आगरा मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**11430.00**
5	मैनपुरी	1469850.00
6	अलीगढ	2405200.00
7	एटा	1603470.00
8	कासगंज	1068980.00
	अलीगढ मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**12305.00**
9	हमीरपुर	935360.00
10	बांदा	1202600.00
11	चित्रकूट	935360.00
12	महोबा	668150.00
	चित्रकूटधाम मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**7090.00**
13	बरेली	3206930.00
14	बदायूँ	2806070.00
15	पीलीभीत	1870750.00
16	शाहजहाँपुर	2939690.00
	बरेली मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**20145.00**
17	मुरादाबाद	1603470.00
18	अमरोहा	1603470.00
19	सम्भल	1469850.00
20	रामपुर	1870750.00
21	बिजनौर	3073350.00
	मुरादाबाद मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**17785.00**
22	मेरठ	1336220.00

http://shasanadesh.up.nic.in

23	बागपत	668120.00
24	गाजियाबाद	400870.00
25	हापुड़	668110.00
26	गौमतबुद्धनगर	400870.00
27	बुलन्दशहर	2538820.00
	मेरठ मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**11335.00**
28	सहारनपुर	2405200.00
29	मुजफ्फरनगर	1336220.00
30	शामली	668110.00
	सहारनपुर मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**8080.00**
31	वाराणसी	2004330.00
32	चन्दौली	2004330.00
33	गाजीपुर	3340550.00
34	जौनपुर	4676770.00
	वाराणसी मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**22520.00**
35	मिर्जापुर	2137960.00
36	सोनभद्र	1737090.00
37	भदोही	1469850.00
	मिर्जापुर मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**10035.00**
38	लखनऊ	1469850.00
39	रायबरेली	2672440.00
40	हरदोई	3474180.00
41	उन्नाव	2806070.00
42	सीतापुर	4275910.00
43	खीरी	3073310.00
	लखनऊ मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**33390.00**
44	कानपुरनगर	1603470.00
45	कानपुरदेहात	1737090.00
46	फर्रूखाबाद	1603470.00
47	कन्नौज	1336220.00
48	इटावा	1202600.00
49	औरैया	1336220.00
	कानपुर मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**16425.00**
50	इलाहाबाद	4409530.00
51	कौशाम्बी	1336220.00

http://shasanadesh.up.nic.in

52	फतेहपुर	2271580.00
53	प्रतापगढ़	3340550.00
	इलाहाबाद मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**21150.00**
54	फैजाबाद	2271580.00
55	अम्बेडकरनगर	2538820.00
56	सुल्तानपुर	2672440.00
57	अमेठी	1870710.00
58	बाराबंकी	3073310.00
	फैजाबाद मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**23010.00**
59	गोण्डा	2806070.00
60	बलरामपुर	2137960.00
61	बहराइच	2806070.00
62	श्रावस्ती	1068980.00
	देवीपाटन मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**16540.00**
63	गोरखपुर	3607800.00
64	महाराजगंज	2538820.00
65	देवरिया	3206930.00
66	कुशीनगर	2939690.00
	गोरखपुर मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**22970.00**
67	बस्ती	3340550.00
68	सन्तकबीरनगर	2137960.00
69	सिद्वार्थनगर	3206930.00
	बस्ती मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**16200.00**
70	आजमगढ़	4944020.00
71	मऊ	1870710.00
72	बलिया	2538820.00
	आजमगढ़ मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**17525.00**
73	झांसी	1336220.00
74	ललितपुर	1068980.00
75	जालौन	1469850.00
	झांसी मण्डल को अनुश्रवण हेतु	**7435.00**
	महायोग	**158237030.00**

http://shasanadesh.up.nic.in